जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
32/2017

A3

विविध बैंक प्र0सं0 32/2017 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0, डिपार्टमेंट फार स्पेशल ऑपरेशन, द्वितीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, आई.टी.ओ. नई दिल्ली बनाम 1–पुनित एण्ड कंपनी जरिये प्रोपराईटर श्री अनिलकुमार जैन, शॉप न0 71 न्यू धानमण्डी, सूरतगढ आदि 2–अनिल कुमार जैन पुत्र श्री दानमल जैन, शॉप न0 24ए न्यू धान मण्डी, सूरतगढ आदि 3–श्रीमति शीतल जैन पत्नि श्री अनिल कुमार जैन म0न0 39, आनंद नर्सिंग होम वार्ड न0 14, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–7–2017

प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 के अभिभाषक श्री श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने पुनित एण्ड कंपनी जरिये प्रोपराईटर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री दान मल जैन को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 40,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) दिनांक 26.09.2013 को स्वीकृत किया किया था। इस हेतु ऋणी ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 30.09.13 को निष्पादित किये। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में श्री अनिल कुमार जैन ने अपने मालिकाना व स्वामित्व की शॉप नंबर 22, आधा उत्तरी भाग, टेह बाजार, न्यू धानमण्डी, सूरतगढ क्षेत्रफल 300 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुग्तान समय पर नही किया गया है जिस कारण उसका खाता दिनांक 29.08.2015 को एनपीए हो गया। अप्रार्थी ऋणी/जमानती की ओर दिनांक 31.01.2017 को राशि 31,07,663.83/–रूपये एवंम इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 18.12.2015 को भिजवाये गये थे नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी ऋणी/जमानतदारों द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए श्री अनिल कुमार जैन के मालिकाना व स्वामित्व की शॉप नंबर 22, आधा उत्तरी भाग, टेह बाजार, न्यू धानमण्डी, सूरतगढ क्षेत्रफल 300 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावें।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल ऋण 40,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) दिनांक 26.09.2013 का अप्रार्थी ऋणी पुनित एण्ड कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री दानमल के नाम स्वीकृत किया था। जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी

11/7/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
32/2017

ऋणी श्री अनिल कुमार जैन ने अपने मालिकाना व स्वामित्व की शॉप नंबर 22, आधा उत्तरी भाग, टेह बाजार, न्यू धानमण्डी, सूरतगढ क्षेत्रफल 300 वर्गफीट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 18.12.2015 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये और उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी/जमानतदारो द्वारा उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक वितरण विवरण के अनुसार रजिस्टर्ड डाक पुनित एण्ड क0 को 26.12.2015 को, गारन्टर शीतल जैन को 26.12.2015 को, ऋणी अनिल कुमार को दिनांक 26.12.2015 को रजि0 डाक (नोटिस) प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप व अभ्यावेदन पेश किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी अनिल कुमार जैन द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी अपने मालिकाना व स्वामित्व की शॉप नंबर 22, आधा उत्तरी भाग, टेह बाजार, न्यू धानमण्डी, सूरतगढ क्षेत्रफल 300 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है। इस मामले में प्रार्थी बैंक द्वारा अपने प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 11 में कथन कियागया है कि उक्त ऋणी/गारन्टर के विरूद्ध ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष मूल प्रा0 पत्र वसूली का लंबित है।

1488-89
19/07/2017

अतः एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी अनिल कुमार जैन द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी अपने मालिकाना व स्वामित्व की शॉप नंबर 22, आधा उत्तरी भाग, टेह बाजार, न्यू धानमण्डी, सूरतगढ क्षेत्रफल 300 वर्गफीट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। किन्तु यह आदेश वसूली अधिकरण जयपुर के आदेशो के अधीन रहेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11—07—2017 को मेर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर